

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम **श्री-श्रीमाली आस्था समाज**
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) **सहायमा लामिता कोरा**
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी. **252, राधाविलास पार्क फेज कोरा**
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य **आशुकेस-मास**
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोश हो तो) **सोशलिन, भवन, लासुसमि, वगैरे**
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) **15000 वर्ग फीट**
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभो बाबत संक्षिप्त विवरण) **लक्ष्म**
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण **नहीं**
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज


- i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
- ii. बाईलॉज/रेग्युलेशन
- iii. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेंस शीट
- iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।
- v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)
- vi. रूपये 5000/- (पांच हजार रूपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिशायी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : 25.2.2021

स्थान : कोरा

नाम व पद **आशुकेस-मास**  
**सहायमा**

  
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक/चैरिटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन बाबत निर्धारित मापदण्डों की चैक लिस्ट

## पार्ट (अ) सामान्य सूचनाएँ

(राज्य सरकार के पत्र दिनांक 13.08.2018 अनुसार)

क्र० सं०		
1	आवेदक का नाम/पता	डा. अ. ल. ख. थास 252 राधा किला
2	शहर/कस्बे कॉलोनी का नाम जहाँ भूमि चाही गई।	के. 27
3	चाही गई भूमि का विवरण (राजस्व ग्राम/कॉलोनी का नाम खसरा नं० क्षेत्रफल आदि।	डी. ज. प्र. प्र. वि. नो. वा. अ. पे. न. ग. र. 2
4	आवेदनकर्ता संस्था के रजिस्ट्रेशन की दिनांक व अन्य विवरण	11. 5. 2007 ( प्रति संलग्न )
5.1	संस्था का गत तीन वर्षों का आय - व्यय विवरण तथा गतिविधियों का लेखा जोखा।	संलग्न है
5.2	संबंधित आवेदक संस्था द्वारा किये गये/किये जा रहे कार्यों का विवरण	सामाजिक उन्नति संबंधी कार्य
6.1	चाही भूमि के उपयोग बाबत परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत व आर्थिक संसाधनों का विवरण।	संलग्न है।

## पार्ट (ब) रियायती दर पर आवंटन के औचित्य की सूचनाएँ :-

क्र० सं०		
6.2	परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को क्या लाभ मिलेगा।	लगाव के व्यक्तियों के बाहर हो जाने हेतु
6.3	आवंटित किये जा रहे हैं क्षेत्रफल का औचित्य एवं इस बाबत नोटिस	आप वन्चा म र्शन सी बुनक
7	क्या संस्था को पूर्व में कभी इसी शहर में भूमि आवंटित की गई थी। यदि हां तो निकाय जिसके द्वारा आवंटन किया गया का नाम, आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल।	जहाँ
8	संबंधित निकाय द्वारा किस दर पर संस्था को आवंटन का निर्णय लिया गया।	
9	आवेदक संस्था द्वारा आवंटन के पेटे कितने प्रतिशत व कितनी राशि किस दिनांक को संस्था में जमा करवायी गई।	5000/- DD सं. 899916 दि. 19.2.2021
10.	चाही गई विकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर, संस्थागत दर।	
11	चाही गई अविकसित भूमि वर्तमान आरक्षित दर, संस्थागत दर।	
12	चाही गई भूमि नगर निगम/नगर परिषद/स्थानीय निगम सीमा के अन्दर स्थित है अथवा बाहर	निगम तीस
12.1	आवेदक संस्था के पदाधिकारियों/सदस्यों प्रमोटर्स का विवरण तथा इनके साथ संबंधित विवरण व कार्यों का विवरण	विधान संलग्न
13.1	यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत कार्य किया जा रहा हो तो उसका विवरण।	जहाँ
13.2	यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/ अन्य वित्तीय संस्था में कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण।	जहाँ
14	आवेदक संस्था का भूमि आवंटित करने का औचित्य।	सांख्यिक अंकन एवं सामुदायिक विकास
15	आवेदक संस्था को आरक्षित दर से कम दर पर भूमि आवंटित किये जाने का औचित्य एवं कितनी रियायती दिया जाना अपेक्षित है एवं कार्यों के संबंध के विवरण।	जहाँ
16	यदि आवेदक संस्था प्रीमियर संस्था की श्रेणी में आती है तो संस्था द्वारा किये जाने वाली विनिवेश राशि का विवरण	
17	आवंटन करने वाले निकाय का अभिमत	
18	क्या प्रश्नगत भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचारार्थन है अथवा स्थगन आदेश प्रभावी।	जहाँ
19	मास्टर प्लान की स्थिति	
20	अन्य विवरण	